संविधान सभा के सदस्य के रूप में भीमराव अम्बेडकर की भूमिका- एक विश्लेषण

’ममता रानी

’रामपाल

असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साईंस, गर्वमेंट पी.जी. कालेज, सफीदों (जींद)

असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साईंस, बी.पी.एस. इंस्टीटयूट ऑफ हायर लरनींग बी. पी.एस.एम.वी. खानपुर कलां

संक्षेपिका:- संविधान एक ऐसा लेख होता है जिसमें उस देश की शासन व्यवस्था, व्यक्तिगत सम्बन्धों, व्यक्ति व राज्य के सम्बन्धों के साथ-साथ राजनैतिक सरंचनाओं के निर्माण का विस्तृत वर्णन होता है। वर्तमान समय में सभी देशों का अपना-अपना संविधान है। यह लिखित व अलिखित दो प्रकार का होता है। भारत का संविधान लिखित व विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान २६ नंवबर १९४९ में एक संविधान सभा (३८९ सदस्यों) ने तैयार किया था। भीमराव अम्बेडकर ने इनमें से एक सदस्य थे। इस शोध पत्र में भीमराव अम्बेडकर के सम्मुख संविधान सभा का सदस्य बनने से पहले व संविधान सभा के सदस्य के रूप में कौन-कौन सी समस्याऐं आई ६ व उन्होंनें कैसे उन्हें दूर किया ६ सविधान सभा के सदस्य के रूप में कौन-कौन से प्रशन उठाऐ और विरोधियों को कैसे अपनी तार्किकता से संतुष्ट किया । उन्होन अपने जातिय स्तर को अपने बौधिक स्तर द्वारा ढंक दिया था। भारत का उच्च वर्ग भी उसकी विद्वता का कायल था। एक सदस्य के तौर पर संविधान निर्माण में उनकी कितनी भूमिका रही। इन सबका संक्षिप्त विशलेषण किया है।

मुख्य शब्द:- भीमराव अम्बेडकर, संविधान, संविधान सभा, सदस्य, अल्पसंख्यक समिति, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, प्रस्ताव, अध्यक्ष, भारत, अधिकार , कानून, वाद-विवाद संशोधन बिल इत्यादि।

शोध स्त्रोत:- प्रस्तुत शोध पत्र में एतिहासिक, विशलेषणात्मक, तुलनात्मक एवं पुस्तकालय पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त इस शोध पत्र को पूरा करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकडों का प्रयोग किया गया है।

भूमिका:- किसी भी देश का संविधान उस देश की सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होता है जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे किसी भी देश की सरकार का स्वरूप तथा उसका संगठन निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक वह देश जो अपने परिवेश को शान्तिपूर्ण, खुशहाल और उन्नत बनाना चाहता है, वह अपनी शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कानून व्यवस्था बनाना है। इसके साथ ही यह निश्चित करता है कि अमुक राज्य की सरकार किस प्रकार की है६ उसके कौन-कौन से विविध अंग है६ उनकी क्या-क्या शक्ति तथा कार्यक्षेत्र है६ तथा उनका क्या पारस्परिक संबंध है६ शासक व शासितों का क्या संबंध है६ इसके निर्धारण के लिए संविधान द्वारा सरकार की शक्ति तथा व्यक्ति के अधिकार निश्चित किए जाते हैं। संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्तव्यों की रक्षा करता है। इन्हीं कायदे कानूनों को बचाने के लिए और अनुपालन करवाने के लिए संविधान एक ऐसी

व्यवस्था है जो जनता तथा राष्ट्र दोनों को नियमबद्ध रखता है। संविधान से शासक व शासित दोनों सीमित होते है स्वतंत्रता के बाद भारत को एक ऐसा सविधान निर्मित करना था जो लोकतान्त्रितक, समाजवादी,पंथ निरपेक्ष हो जिसके अनुसार देश संचालित हो। ऐसा सविधान निर्मित करने में अनेक देश भक्त नेताओं, समाज सुधारको ने अपनी-२ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं में से एक भीमराव अम्बेडकर थे।

संविधान सभा का गठन:- भारत ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था, यहां अनेक धर्म विरोधी सम्प्रदाय, जातियाँ तथा कबीले मौजूद थे। इसके साथ ही देश में अनेक छोटे-छोटे राज्य, रियासतें तथा क्षेत्र थे। जिनका शासन छोटे बड़े राजे महाराजे किया करते थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों का भी अधिपत्य था। जो अपने मनमाने ढंग से देश के शासन का संचालन करते थे और अपने द्वारा बनाएं गए कानूनों को भारतीय जनता पर थोंपते थे। अंग्रेजों का अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों के इस बढ़ते हुए शोषण व अत्याचार के विरूद्ध धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी और वो अपने अधिकारों व स्वतन्त्रता के लिए उठ खड़ें हुए। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए स्वयं संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा की मांग उठने लगी। १९२८ में संविधान निर्मित करने के लिए काग्रेंस ने मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसने संविधान सभा की मांग की। संविधान बनाने के लिए गठित कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे 'नेहरू रिपोर्ट' कहा गया था। इस रिपोर्ट में भारतीयों द्वारा स्वयं अपना संविधान बनाने की मांग रखी गई ओर इसे अंग्रेजी सरकार को सौंपा गया। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि भारतीय लोग स्वयं अपना संविधान बनाने के योग्य एवं सक्षम नहीं है (एम.वी.पायली, पृ.-५)।

ब्रिटिश शासन द्वारा १९३० से १९३३ के बीच भारतीय संविधान बनाने के लिए इंग्लैड मे तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए तथा इसके बाद १९४२ में सर स्टैफर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव को प्रस्तावित मसविदा को कार्यकारी परिषद के सम्मुख रखा। इसमें कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा, लेकिन इस प्रस्ताव का भारतीयों ने विरोध किया। इसके बाद १९४६ में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसने संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की। संविधान सभा में ऐसे प्रतिनिधि होंगें जिनका चुनाव प्रान्तीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा (दुर्गादास, पृ.-१५)। भीमराव अम्बेडकर के लिए यह बड़ी समस्या थी कि वह संविधान सभा में कैसे पहुंचे?एक तो उनका निम्न जाति से होना दुसरा काग्रेस का विरोधी होना न ही कांग्रेसी नेताओं को उनके चुनाव में कोई रूचि थी। गांधी व अम्बेडकर भी एक-दूसरे के कटु आलोचक थे। दोनों के विचार भिन्न थे लेकिन फिर भी अम्बेडकर ने बम्बई विधानसभा से चुनाव लड़ने का प्रयास किया लेकिन कांग्रसी विरोध के कारण वह सफल नहीं हो पाए। इसके बाद अम्बेडकर बंगाल विधानसभा से एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। बंगाल विधानसभा में अम्बेडकर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों और मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के लिए चुने गए (बाबा साहेब अम्बेडकर, पृ.-१२०-१२१)। इस प्रकार अम्बेडकर को संविधान सभा में अनेक कठिनाईयों के बाद प्रवेश मिला।

सभा के सदस्य के रूप में भीमराव अम्बेडकर की भूमिका:- कैबिनेट मिशन की रिर्पोट पर आधारित संविधान सभा को संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक ९ दिसम्बर १९४६

को प्रारम्भ हुई। इसमें सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थायी सभापति के रूप में चुना गया लेकिन कुछ दिनों के बाद ही राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। १३ दिसम्बर १९४६ को नेहरू ने लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव सभा में पेश किया। नेहरू के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार है:

- यह विधान परिषद् भारत को एक पूर्ण संप्रभुता गणराज्य घोषित करती है और निश्चय करती है कि भावी शासन के लिए एक संविधान निर्मित किया जाएगा।
- भारतीय संघ तथा इकाईयों सें समस्त राजनीतिक शक्ति तथा औचित्य का मूल स्त्रोत जनता होगी।
- भारत के नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्याय, पद, अवसर, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगें।
- अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जातियों तथा जनजातियों के हितों के सरंक्षण विधि रहेगी। इसके अलावा प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति के कल्याण के लिए योगदान करेगा (भारतीय संविधान सभा के वाद-विवाद, खण्ड-१, पृ. -१-५)।

लेकिन जयकर तथा फ्रैंक एंथानी इत्यादि सदस्य उदेश्य प्रस्ताव को थोड़ा स्थगित करना चाहते थे ताकि मुस्लिम लीग और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि भी संविधान सभा में सम्मिलित हो जाएं। अम्बेडकर ने भी इस प्रस्ताव पर जयकर के संशोधन का सविंधान सभा में समर्थन किया और कहा कि यद्यपि आज हमारा देश राजनीतिक, आर्थिक एंव सामाजिक दृष्टि से विभक्त है परन्तु इन सब बातों के बावजूद भी समय और परिस्थिति अनुकूल होने पर दुनिया की कोई भी ताकत इस मुल्क को एक होने से नही रोक सकती। अन्त में अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि हम अपने आचरण से यह प्रमाणित कर दे कि अगर इस परिषद् ने सर्वोच्च सता (संविधान निर्माण हेतु) सर्वोच्च सता प्राप्त की है। तो उस सता का प्रयोग बुद्धिमानी से करेंगी जिसके जरिये हम देश के सभी वर्गो को साथ लेकर चल सकते है। अम्बेडकर की लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर अपील इतनी प्रभावशाली, तार्किक व भावनात्मक थी कि इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया (भारतीय संविधान सभा के वाद-विवाद, खण्ड-१, पृ. -१६-२१)। क्योंकि उनका समझौता व एकता की अपील प्रासंगिक थी। अन्ततः नेहरू जी का यह प्रस्ताव बाद में २२ जनवरी १९४७ को संविधान सभा में पास कर दिया गया था। संविधान सभा द्वारा २४ जनवरी १९४७ को सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने चार उपसमितियों का गठन किया। मौलिक अधिकार उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति, उतर-पूर्वी सीमान्त जनजातीय क्षेत्र उपसमिति और वर्जित तथा अवर्जित (आसाम को छोड़कर) क्षेत्र उपसमिति। अम्बेडकर मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक उपसमिति के सदस्य बनें (भारतीय सभा के वाद-विवाद, खण्ड-२, पृ.-४-६)। इनका संबंध मनुष्य के मूल अधिकारों और देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति एवं हितों से था।

सलाहकारी समिति ने अपनी रिपोर्ट २३ अप्रैल १९४७ को संविधान सभा में पेश की। अम्बेडकर ने इन समितियों की बैठकों में न केवल सक्रिय भाग लिया अपितु संबंधित वाद-विवाद में अग्रणी भूमिका निभाई सहभागिता खण्ड-११ स्वतंत्रता का अधिकार वल्लभ भाई पटेल ने सभा के सामने रखा (क)

मनुष्यों का व्यापार (ख) जबर्दस्ती काम कराना जिसमें बेगार लेना भी शामिल है और इच्छा विरूद्ध गुलामी भी। जिसमें विधिवत दण्ड प्राप्त लोगों का सजा भोगना शामिल नहीं होगा। इस विधानसभा द्वारा निषिद्ध करार दिए जाते हैं और इस निषेधाज्ञा के विरूद्ध आचरण अपराध समझा जाएगा। ''मगर शर्त यह है कि इस वाक्य खण्ड के किसी आदेश से सरकार को सार्वजनिक कामों के लिए अनिवार्य रूप से काम लेने में कोई बांधा न होगी लेकिन ऐसा करने में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा।'' इस पर श्री मुंशी जी ने कहा कि इसमें से शर्त को निकाल देना चाहिए। इसका एम०आर०मसानी, जगजीवन राम इत्यादि सदस्यों ने भी समर्थन किया। इस पर अम्बेडकर जी ने कहा कि यदि शर्त को हटा दिया जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सैनिक और सामाजिक कामों के लिए अनिवार्य सेना लेने का जो राज्य का अधिकार है वह प्रभावित होगा इसलिए मेरा तो यही सुझाव है कि व्याख्या नहीं निकालनी चाहिए और इसे त्यों का ज्यों रखा जाना चाहिए तथा व्याख्या रखनी चाहिए या नहीं इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी बना दी जाए। अम्बेडकर के सुझाव का अन्य सदस्यों सहित अध्यक्ष महोदय ने भी स्वीकार किया (भारतीय संविधान सभा के वाद-विवाद, खण्ड-३, पृ.५-७)।

इसके बाद खण्ड १७-धर्म संबंधी अधिकार सभा में किया गया जो था - ''बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव से जो धर्म परिवर्तन होगा उसे कानूनन सम्मत स्वीकार नहीं किया जाएगा।'' के.एम.मुंशी ने इस पर भी संशोधन पेश किया। ''किसी भी व्यक्ति को धोखे से या अनुचित प्रभाव डालकर अथवा १८ वर्ष से कम अवस्था के नाबालिग को एक धर्म से दूसरे धर्म में प्रवेश करने पर यह धर्म परिवर्तन कानूनन जायज नहीं माना जाएगा। इस पर अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं मुंशी जी के संशोधन से सहमत नहीं हूँ। यह समस्या सलाहाकारी समिति के सामने भी आई थी तो समिति इस निर्णय पर पंहुची थी कि उन्हें इस खण्ड के उस वर्तमान स्वरूप पर ही दढ़ रहना चाहिए। इसलिए मेरी तो यही राय है कि हम इस सारे विधान को ही निकाल देना चाहिए (भारतीय संविधान सभा के वाद-विवाद, खण्ड-३, पृ.२१-४०)। खण्ड १८- सांस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पेश किया गया जो इस प्रकार है।

- अल्पसख्यकों की भाषा, लिपि संस्कृति की दृष्टि से रक्षा की जाएंगी।
- अल्पसंख्यक चहि वह धार्मिकता के सम्प्रादय या भाषा की दृष्टि से राष्ट्र की शिक्षा सस्थाओं में प्रवेश पाने से वंचित नहीं रहेगा।
- अल्पसंख्यक धर्म, सम्प्रादय, भाषा किसी भी इकाई में अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी इत्यादि।

इस पर श्री मोहनलाल सक्सेना तथा श्री मुंशी ने संशोधन पेश किया कि सारे खण्ड को पुर्नविचार के लिए वापिस कमेटी के पास भेजा जाएं। इस पर अम्बेडकर ने कहा कि इन लोगों ने कोई कारण नहीं बताया कि यह १८ वां खण्ड विचार के लिए क्यों भेजा जाएं इसलिए मैं इस विचार का समर्थन नहीं करता क्योंकि अल्पसंख्यको के अधिकार पूर्ण अधिकार है लेकिन फिर भी यदि इसे वापिस भेजा जाता है तो केवल उपखण्ड ही भेजा जाएं क्योंकि हमने उसका विषय राज्य की शिक्षा संस्थाओं तक ही समिति रखा है और उन शिक्षा संस्थाओं के लिए कुछ नहीं कहा जो राज्य से केवल आर्थिक सहायता लेती है अध्यक्ष महोदय सहित अन्य सदस्यों ने भी यह बात स्वीकार की और केवल उपखण्ड -२ को ही वापिस भेजा गया (भारतीय

संविधान सभा के वाद-विवाद, खण्ड-३, पृ.४१-४८)। सविधान सभा द्वारा तीन समितियों का गठन किया गया। पहली संघ शक्ति समिति, संघ सविधान समिति और प्रान्तीय संविधान समिति। नेहरू जी पहली दो समितियों के अध्यक्ष थे। जबकि तीसरी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अम्बेडकर संघ विधान समिति के सदस्य चुने गए। ४ जुलाई १९४७ को इस समिति के अध्यक्ष ने यह रिर्पाट सभा में पेश की (डी.आर.जाटव, पृ. ३८)। जिसमें अम्बेडकर ने विधिक और सवैधानिक भूमिका निभाई।

संविधान सभा में राष्ट्रीय तिंरगा को लेकर वाद-विवाद उठा कि झण्डे में अशोक च्रक हो अथवा गांधी जी का चरखा हो। तब अम्बेडकर जी ने अशोक च्रक के पक्ष मे अपनी कुशाग्र बुद्धि का सुयोग्य ढंग से प्रयोग किया। अम्बेडकर बौद्ध सस्कृति से पूर्णत: प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने चरखा के स्थान पर अशोक च्रक को ही रखने की सलाह दी। गांधी जी को इससे बहुत दु:ख हुआ और इस पर तीखी प्रकिया वयक्त करते हुए कहा कि यदि झण्डे के मौलिक स्वरूप में खादी और चरखा का कोई स्थान नहीं है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय झण्डे के रूप में अशोक चक्र सहित तिरंगे को ही स्वीकार किया। ४ जुलाई १९४७ को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता से सम्बधित बिल पेश किया और १५ जुलाई १९४७ को उसे पास कर दिया गया। इस स्वंतत्रता अधिनियम १९४७ में भारत का विभाजन और १५ अगस्त १९४७ से दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना का प्रावधान था। १९४७ में देश के विभाजन के साथ - साथ संयुक्त बंगाल का भी विभाजन हो गया। अम्बेडकर सविधान सभा के सदस्य नहीं रहें। कांग्रेस पार्टी जिसने पहले संविधान सभा में अम्बेडकर के प्रवेश का जमकर विरोध किया था। अब बढ़कर आगे आई और उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव किया। सभा के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जी ने बम्बई के तात्कालीन मंत्री बी. जी. खेर को पत्र लिखा कि अम्बेडकर को सभा के लिए तुरन्त चुनकर भेजा जाए। उनके अनुसार अम्बेडकर ने जो काम सभा और विभिन्न समितियों में किया है, उससे प्रभावित होकर हमें उनकी सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें तुरन्त चुना जाना चाहिए। इस प्रकार अम्बेडकर को अध्यक्ष की उदारता एवं दूरदर्शिता के कारण तथा काग्रेस पार्टी की सहायता से एम.आर. जयकर के रिक्त स्थान पर पुन: सभा के लिए चुने गए (बाबा साहेब अम्बेडकर, पृ.२४-२६)। अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए पुन: जुलाई १९४७ में बम्बई से एक सदस्य के रूप में चुना गया। तत्पश्चात नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और अपने मंत्रीमण्डल का गठन किया। तब उन्होनें अम्बेडकर को भी आंमत्रित किया ताकि वह भी मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित हों सकें। अम्बेडकर ने उनके निमंत्रण को स्बीकार कर लिया और उन्हें भारत का प्रथम विधिमंत्री बनाया। पंडित नेहरू अम्बेडकर की विद्वता, तर्कबुद्धि और स्पष्टवादिता से काफी प्रभावित थे। नेहरू अम्बेडकर का 'ज्यूल ऑफ दा कैबिनेट' कहकर परिचय करवाया करते थे (बाबा साहेब अम्बेडकर, पृ.२८)।

निष्कर्ष:- बी. आर. अम्बेडकर एक लेखक, शिक्षाविद्ध, महान सामाजिक कार्यकर्ता, स्पष्वादी और मुख्य सविधान निर्माता थे। लेकिन फिर भी अम्बेडकर को संविधान सभा में प्रवेश करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंधित होने के साथ - साथ उनके और गांधी के विचार में मतभेद बहुत ज्यादा थे तथा कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अम्बेडकर को पसंद नहीं करते थे। फिर भी अम्बेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होन अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और अपनी मानवता वाली दृष्टि, कुशाग्र बुद्धि और सदढ़ता के आधार पर संविधान सभा में प्रवेश किया। सविधान सभा में

उन्होनें अपनी भूमिका को इतना उदार, व्यापक और सर्वागीण बनाकर काम किया कि संविधान में उनके विचारों का समावेश किसी न किसी रूप में किया गया। उन्होनें सभी समितियों से संबंधित वाद विवादों मेंअपनी सहभागितापूर्ण भूमिका निभाई। सभा में उनकी भूमिका देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम और यहां के सभी नागरिकों के प्रति संदेह की पूर्ण अभिव्यक्ति थी। अत: भीमराव अम्बेडकर ने सभा के सभी निर्णयों व वक्तव्यों पर अपनी अमिट छाप छोड़ो, जो विस्मरणीय है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में प्रवेश करते ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जिसे उन्होने अंत तक बनाऐ रखा। संविधान सभा मे संविधान निर्माण हेतु उन्होने जो भी तर्क ,विचार या प्रस्ताव रखे उसके आधार पर हम कह सकते है कि अम्बेडकर की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भूमिका महत्वर्पूण, तार्किक तथा प्रभावशाली रही।

संदर्भ- सूची

१. पायली, एम.वी., **भारतीय संविधान**, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, १९६८।
२. बसु, दुर्गादास, **भारत का सविधान:एक परिचय**, लैकसस पब्लिकेशन, नागपुर, २००८।
३. अम्बेडकर, बाबा साहेब, **सम्पूर्ण वाङ्मय**, खण्ड-१९, अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मत्रांलय, भारत सरकार, नई दिल्ली, २००२।
४. **भारतीय संविधान सभा के वाद-विवाद**, खण्ड-१, पुस्तक-१, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, १९९४।
५. **वही**।
६. **भारतीय संविधान सभा के वाद -विवाद**, खण्ड-२, पुस्तक-१, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, १९९४।
७. **भारतीय संविधान सभा के वाद-विवाद**, खण्ड-३, पुस्तक-१, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, १९९४।
८. **वही**।
९. **वही**।
१०. जाटव, डी.आर., **अम्बेडकर: संविधान के मुख्य निर्माता**, समता साहित्य सदन ,जयपुर, १९९६।
११. अम्बेडकर, बाबा साहेब, **रायटिंग्स एण्ड स्पीचेज**, खण्ड-१३, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन, बॉम्बे, १९९४।
१२. **वही**।

पत्रिका:-

१. सामाजिक न्याय संदेश।

२. समाचार पत्र-

दा हिन्द ,टाईम्स ऑफ इंडियां,दैनिक भास्कर।